

F-07-07

सेना उड़नयोग्यता और प्रमाणीकरण केंद्र CENTRE FOR MILITARY AIRWORTHINESS & CERTIFICATION

IS/ISO: 9001:2008

रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन
DEFENCE R&D ORGANISATION
भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF DEFENCE
मारत्तहल्ली कालोनी पोस्ट, बेंगलूरु
MARATHAHALLI COLONY P.O.,
BENGALURU - 560 037.

± 4007/ True Approved No. 40

वर्ग अनुमोदन सं . 1907/ Type Approval No. 1907

मद/FOR ITEM: एटी 1 एमई टॉरपीडो हेतु पैराशूट सिस्टम (फिक्स्ड विंग) Parachute System (Fixed Wing) for AT1ME Torpedo

यह प्रमाणित किया जाता है कि नेवल आर्ममेंट इन्सपेक्टॉरेट, आर्मपुर पोस्ट, कल्पी रोड, कानपुर – 208 004 द्वारा अभिकल्पित एवं विकसित तथा आर्डिनेन्स पैराशूट फैक्टरी (ओपीएफ), नेपियर रोड, कानपुर-208 004, द्वारा उत्पादित, "एटी1एमई टॉरपीडो हेतु पैराशूट सिस्टम (फिक्स्ड विंग)", को असेंब्ली आरेखन सं. एनएएसके/1091(पी), रिविज़न सं. शून्य, दिनांक 17 अक्तूबर 2013, को एटी1एमई टॉरपीडो (फिक्सड विंग) में उपयोग हेतु उत्पादन के लिए अनुमोदित किया जाता है। यह आर सी एम ए (कानपुर) के समन्वय से तकनीकी विनिर्देश एवं टेस्ट शेड्यूल दस्तावेज सं. केएनआई/0954/पैराशूट (एटी1एमई), वर्जन 01, दिनांक 31 मार्च 2016 के अनुसार परीक्षित किया गया है। यह परिशिष्ट 'ए' में संलग्न वर्ग रिकार्ड कम्प्लायन्स स्टेटमेंट में विवरित आवश्यकताओं को पूर्ण कर चुका है।

This is to certify that the "Parachute System (Fixed Wing) for ATIME Torpedo", designed and developed by Naval Armament Inspectorate, Armapur Post, Kalpi Road, Kanpur – 208 004, and manufactured by Ordnance Parachute Factory, (OPF) Napier Road, Kanpur – 208 004 is hereby approved for production as per Assembly Drawing No.: NASK/1091 (P), Revision No.: Nil, Dated.:17th October 2013, is hereby approved for use in AT1ME Torpedo (fixed wing). It has been tested as per Technical Specification & Test Schedule Document No.: KNI/0954/Parachute (AT1ME), Version.:01, Dated.: 31st March 2016, in co-ordination with RCMA (Kanpur). It has met the requirements as detailed in type record compliance statement enclosed at Appendix 'A'.

ਪਤ/Page 01 of 02

ਧੂਬ/Page 02 of 02 ਟੀ ए ਚੰ./TA No. 1907 F-07-07

2. इस वर्ग अनुमोदन को जारी करने के फलस्वरूप उत्पाद को प्रदत्त अंतरिम निकासी सूपरसीड होती है। इसके उत्पादन के लिए अपनाई विधि को अब से सील कर दिया जाता है। उपरोक्त वर्ग अनुमोदन संख्या को सभी संलग्न आरेखन, संविदा तथा रिलीज़ नोट्स में उल्लेखित किया जाना चाहिए।

The Provisional Clearances accorded for this product are hereby superceded consequent to issuance of this Type Approval. The process adopted to manufacture this product is sealed henceforth. The Type Approval number quoted above must be reflected in all relevant drawings, contracts & release notes.

3. यह वर्ग अनुमोदन 30 सितंबर 2021 तक वैध है बशर्ते कि इसे स्थगित, निरस्थ या रद्द नहीं किया जाता तदुपरांत इसका नवीकरण करवाना होगा। विक्रेता को इस वर्ग अनुमोदन की अविध समाप्त होने के तीन (3) महीने पहले ही अनुवर्ती नवीकरण के लिए निष्पादन फीडबैक को सम्मिलित करते हुए सभी संलग्न दस्वाजें के साथ आर सी एम ए (कानपुर), से अनुरोध करना होगा।

This Type Approval is valid up to 30^{th} September 2021 unless otherwise cancelled, suspended or revoked and will have to be renewed subsequently. The vendor shall request RCMA (Kanpur), for subsequent renewal, Three (03) months before the expiry of Type Approval, with all relevant documents including performance feedback.

4. अगर इस संलग्न टाइप रिकोर्ड के वर्ग अनुमोदन, एसओपी और घोषित निष्पादन में कोई परिवर्तन करना हो तो सेना उड़नयोग्यता और प्रमाणीकरण केंद्र (सेमिलैक), बेंगलूरु की पूर्व सहमित लेनी होगी। यह वर्ग अनुमोदन किसी अन्य अभिकरण को स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है।

Prior concurrence of Centre for Military Airworthiness & Certification (CEMILAC), Bengaluru, will have to be obtained to adopt any changes in the Type Approval, SOP and in the declared performance indicated in the enclosed Type Record. The Type Approval is not at all transferable to any other agency.

5. यह वर्ग अनुमोदन, थोक उत्पादन के लिए डी.जी.ए.क्यू.ए, रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वार गुणवत्ता नियंत्रण पक्ष की निकासी एवं स्पष्ट रूप से दर्शाए गए प्रोसेस के कड़े अनुपालन पर आधारित है।

This approval is contingent upon strict adherence to the process demonstrated and the quality control aspects for bulk production being cleared by DGAQA, Ministry of Defence, Government of India.

फैक्स सं./Fax No: 080-25230856

Kight galaholb.

पी जयपाल / P.JAYAPAL मुख्य कार्यपालक(उड़नयोग्यता)/ Chief Executive (Airworthiness)

Dispatched on 12/10/2016